न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या :– 126/2019 निर्णय दिनांक 13.06.2019

उनवान

1. लादी देवी पत्नि भौरीलाल जाति जाट निवासी कोटखावदा तहसील कोटखावदा।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा।

प्रार्थना–पत्र पत्थरगढी करवाने बाबत।

प्रार्थीगण ग्राम कोटखावदा तहसील कोटखावदा के खातेदार काश्तकार है जिसके आराजी खसरा नम्बर 133, 140, 141, 147, 148, 149, 150 किता7 रकबा 3.82 है0 व खसरा नम्बर 1297, 1298, 1893, 1898, 1899, 1900, 1902, 1905, 1906 किता 9 रकबा 2.83 है0 भूमि वाके ग्राम कौटखावदा में स्थित है जो भूमि लादी देवी पत्नि भौरीलाल जाति जाट निवासी कोटखावदा खातेदार काश्तकार है। उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थया ने निवेदन किया है प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी की गयी व जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार पैश किया गया कि प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 04.07.2017 को कराया जा चुका है। जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर वकील प्रार्थी को सुना गया तो प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुए प्रार्थीया की भूमि की पत्थरगढी पुलिस इमदाद से कराने हेतु दौराने बहस जाहिर किया गया।

वकील प्रार्थीया की बहस पर गौर किया व प्रार्थना पत्र एवं जवाब सरकार का अवलोकन किया गया तो प्रार्थिया की भूमि पत्थर गढी करवाया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 133, 140, 141, 147, 148, 149, 150 किता7 रकबा 3.82 है0 व खसरा नम्बर 1297, 1298, 1893, 1898, 1899, 1900, 1902, 1905, 1906 किता 9 रकबा 2.83 है0 भूमि वाके ग्राम कौटखावदा तहसील कोटखावदा की पत्थरगढी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण व पडोसी खातेदारों की उपस्थिति में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन आदेश [illegible] पत्थरबढी की जावे व साथ ही उक्त आदेश पत्थरगढी का है जिसमें किसी [illegible] कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। निर्णय की पालना हेतु लिखा जावे पत्रावली [illegible] दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:15:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(एस0डी0एम0) चाकसू